न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी उगमसिंह राजपुरोहित आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
25/2019	धारा 111, 128 RLRA	01.07.2019	31.03.2023

1. हरिराम पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी रिबीया तहसील वा जिला चूरू
2. सावित्री पत्नी हरिराम जाति जाट निवासीनी रिबीया तहसील व जिला चूरू
3. सुरजी देवी पत्नी नंदराम जाति जाट निवासीनी रिबीया तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

1. अमरचंद पुत्र किसनाराम जाट निवासी रिबीया तहसील वा जिला चूरू
2. सरदारी पत्नी भगवाना राम जाति जाट निवासीनी रिबीया तहसील वा जिला चूरू
3. तहसीलदार चूरू

–अप्रार्थीगण–

4. चंदादेवी पत्नी धन्नाराम जाट निवासीनी रिबीया तहसील वा जिला चूरू
5. फुलीदेवी पत्नी धन्नाराम जाट निवासीनी रिबीया तहसील वा जिला चूरू
6. विमला पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी रिबीया तहसील वा जिला चूरू
7. मुखराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रिबीया तहसील वा जिला चूरू
8. भंवरी पत्नी रामकुमार जाट निवासीनी रिबीया तहसील वा जिला चूरू
9. राकेश कुमार पुत्र हंसराज जाट निवासी तहसील वा जिला चूरू
10. रामेश्वर लाल पुत्र धन्नाराम जाट निवासीनी रिबीया तहसील वा जिला चूरू
11. सरला पुत्री हंसराज जाट निवासीनी रिबीया तहसील वा जिला चूरू

–गौणअप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री ऋिषिराजसिंह शेखावत प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी अप्रार्थी सं. 1 व 2

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भूराजस्व अधिनियम 1956 की प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कि खेत खसरा नम्बर 404, 405, 258, 365, 438, 440, 86, 89 कुल रकबा 33.9936 हैक्टेयर भूमि रोही रिबीया पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील चूरू प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 से 11 के सहखातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के साथ पेश है।

उपरोक्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 4 से 11 के सहखातेदारी वा कब्जा काश्त की भमि में से खसरा नम्बर 404 वाली भूमि के चिपते हुए उत्तरी सींव में अप्रार्थीगण से 1 वा 2 के खेत स्थित है अप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा सं. 327 वा 587/555

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वा अप्रार्थीगण सं 2 के खेत के खसरा नम्बर 588/555 है उपरोक्त कृषि भूमियां अप्रार्थीगण सं 1 वा 2 की खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है प्रार्थीगण गौण अप्रार्थीगण सें 4 ता 11 अप्रार्थीगण स. 1 व 2 अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 404 वा 405 पास–पास स्थित है तथा प्रार्थीगण एवं गौण अप्रार्थीगण का उक्त खेत उतरी सींव एक ही है। प्रार्थीगण वा अप्रार्थीगण वा गौण अप्रार्थीगण सं 1 वा 2 के बीच सींव स्पष्ट नहीं होने से काश्त के समय सींव को लेकर तनाजा रहता है वा इन खसरों को लेकर झगड़ा फसाद एवं तनाव रहता है तथा अप्रार्थी सं. 1 वा 2 झगड़ालू प्रवृति के लोग है तथा नाहक की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 3 से 14 के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है तथा अप्रार्थी सं. 1 वा 2 बलपूर्वक ताकत के बल पर गलत रूप से प्रार्थीगण के ख नं. 404, 405 रोही रिबीया की सहखातेदारी की कृषि भूमि की भूमि के भीतर सीमा स्पष्ट नहीं होने से प्रार्थीगण के खेत की सींव को काटकर सरका कर उसके भीतर घुसने का प्रयास करते रहते है तथा उतरी सीमा को सरकाने के प्रयास करते रहते है तथा उतरी सीमा को सरकाने के प्रयास में है जिससे बार–बार प्रार्थीगण वा अप्रार्थीगण सं. 4 से 11 द्वारा बार–बार समझाया जा चुका है लेकिन पुख्ता निशान देही वा पत्थरगढी के अभाव में अप्रार्थीगण को सभी प्रकार से उपयोग उपभोग के अधिकार अधिनियम से प्रार्थीगण को प्राप्त है जिनकी सुरक्षा करवाये जाने बाबत एवं भविष्य में सीमा को लेकर पक्षकारों के मध्य को कोई विवप ना हो इसलिए प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि अपने खातेदार वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि 404 वा 405 का पुख्ता सीमांकन करवा जाये जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

पत्थरगढी व निशान देही में लगना खाला खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तैयार है तथा अदालतवाला को इस प्रार्थना पत्र के सुनवाई के अधिकार प्राप्त है। पत्थरगढी तहसीलदार साहब चूरू के माध्यम से अनुवानी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित की जाकर करवाई जानी आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खेत खसरा नम्बर 404 रकबा 3.1995 हैक्टेयर वा खसरा नम्बर 405 रकबा 5.6403 हैक्टेयर भूमि रोही रिबीया तहसील चूरू की अप्रार्थी सं. 3 से टीम गठित करवाई जाकर नपती करवाई जाकर इस खेत मे पुख्ता पत्थरगढी व सीमांकन करवाय जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री धन्नाराम सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी सं. 2 तथा 4 से 11 विधिवत तामील हो जाने के बावजूद न्यायाल में उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी स. 2 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब न दिया जाकर स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर प्रार्थना आदेश 10 नियम 10(2) वा आदेश 06 नियम 17 व सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 02 पर अंकित गलत नाम को हटाया जाकर उसके स्थान पर सरदारी पत्नी भगवानाराम अंकित किये जाने का आदेश दिया गया। तथा संशोधित टाईटल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया। तत् पश्चात् अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ संहवन से हुई एक पक्षीय कार्यवाही ... चूकि वकालत नामा पूर्व में पेश किया जा चूका था । अप्रार्थी सं. 01 वा 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रतिवादी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।
तत् पश्चात् अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। तत् पश्चात् अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गइ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01, उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 तथा प्रार्थीगण आपसे में किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नहीं है। मद संख्या 02 अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीगण संख्या 01 के खेत अलग–अलग रहे है अप्रार्थी संख्या 01 तथा प्रार्थीगण के पूर्वजों ने कभी मिलकर आपस में कृषि कार्य नहीं किया है। तथा प्रार्थीगण स्वयं झगड़ालू है तथा अपनी सींव काटते रहते है। मद संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 01 व प्रार्थीगण के मध्य कोई सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं रहा है। जबकि प्रार्थीगण स्वयं अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि को काटकर उसके अन्दर मिलाना चाहता है।

विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 के एक के खेत पूर्वजों के समय से ही अलग–अलग है, प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के एक पूर्वज नहीं रहे प्रार्थीगण पूनियां जाट अप्रार्थीगण घिंटाला जाट है पूर्वज अलग–अलग रहे है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वजों ने आपस में मिलकर उक्त कृषि भूमि को कभी काश्त नहीं किया है प्रार्थीगण स्वयं की सींव काटते रहते है कई बार सींव के उपर से डिस निकाल देते है प्रार्थीगण के खुद का ट्रेक्टर है अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण को समझाया कि वो सींव नहीं काटे लेकिन इस प्रार्थना पत्र की आड में वो खुद सींव काटते है अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से में खसरा नम्बर 587/555 की भूमि आती है। 588/555 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 की नहीं है। उसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 के माता सरदारी की है, प्रार्थी की कृषि भूमि के दक्षिण में खसरा नम्बर 431, 404, 403 कृषि भूमि पड़ती है, प्रार्थीगण पूर्व में मनीराम घिंटाला दक्षिण में राकेश पुत्र रामेश्वर लाल पुनिया के खेत है, जिसके खातेदारों को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है, अप्रार्थीगण केवल मात्र इस प्रार्थना पत्र की आड में काल्पनिक विवाद बताकर अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है वास्तव में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य कोई विवाद नहीं है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य कभी मुकदमा नहीं हुआ, किसी भी पक्षकार ने थाने में कोई अर्जी नहीं दी है, अप्रार्थी संख्या 01 के खेत के बीच में पिढियों की सींव चली आ रही है जिसमें बांठ बोझे लगे हुए है जो सींव ज्यों कि त्यों है, इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 के खेत पूर्वजों के समय से ही अलग–अलग रहे है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 के पूर्वज नहीं रहे है। प्रार्थीगण पूनियां जाट है अप्रार्थी सं. 02 घिण्टाला जाट है पूर्वज अलग–अलग रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 के पूर्वजों ने आपसे में कभी एक साथ काश्त नहीं किया। प्रार्थीगण स्वयं की सींव काटते रहते है। अप्रार्थी संख्या 02 के हिस्से में खसरा नम्बर 588/555 की भूमि आती है। प्रार्थी कृषि भूमि के दक्षिण में खसरा नम्बर 405 कृषि भूमि पड़ती है, प्रार्थीगण के पूर्व में मनीराम घिण्टाला पुत्र श्री मेदाराम घिण्टाला दक्षिण में राकेश पुत्र रामेश्वर लाल पुनियां के खेत है। जिसके खातेदारों को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। अप्रार्थीगण केवल मात्र इस प्रार्थना पत्र की आड़ में काल्पनिक विवाद बताकर अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है वास्तव में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 के मध्य कोई विवाद नहीं है आपस में कभी मुकदमा नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से प्रार्थीगण को समझाया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 के खेत के बीच में पिढियो की सींव चली आ रही है जिसमें बांठ बोझे लगे हुए है, प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पुख्ता पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब कथनों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थी सं. 1, 2 प्रार्थी का पड़ौसी खातेदार नहीं है प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया हुआ है अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पेश दस्तावेज का अवलोकन एवं उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 कि खेत खसरा नम्बर 404, 405, 258, 365,372, 438, 440, 86, 89 कुल रकबा 33.9936 हैक्टेयर भूमि रोही रिबीया पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील चूरू में प्रार्थीगण एवं गौण अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने स्वयं अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीगण स्वयं सींव काटते है व वे अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि को अपने खेत में मिलाना चाहते है तथा प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा सींव काटे जाने का हवाला दिया है। उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिसका प्रार्थीगण सीमा ज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब व बहस में आपत्ति होने का कथन करते हुए कहा है कि खसरा नम्बर 588/555 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 नहीं है उसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 की माता सरदारी की है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि दौराने प्रार्थना पत्र उसे पक्षकार बनाया जा चुका है। प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए नियमानुसार कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का उचित शुल्क जमा करवा कर विधिवत सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी करवा सकता है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना उचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी नियमानुसार खर्चा वहन करने को तैयार है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से किसी अन्य खातेदार/काश्तकार या राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि इस प्रकार के प्रार्थना पत्र से किसी पक्षकार के हक व अधिकारों का विनिश्चय नहीं होता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट का उचित होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जावे एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित की जाकर वादगत कृषि भूमि ख0नं0 404 तादादी 3.1995 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 405 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही ग्राम रिबीया तहसील व जिला चूरू में रोही ग्राम खासौली तहसील चूरू की नपती उक्त खसरा के आस–पास की सींव के पड़ौसी पक्षकारों जरिये नोटिस बुलाया जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में की जाकर सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 31.03.2023 द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:58 IST
Reason: SelfAttested

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू